

परियोजना का नाम :- Construction of 220 kV double circuit transmission line from new 400/220 kV GIS Jauljibi substation to 220 kV substation Pithoragarh and LILO s line of 400/kV D/C of Dhauliganga- Bareilly line at 400/220 kV GIS Jauljibi substation under Northern Region system strengthening scheme(NRSSH-XXXVII)

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन विभाग

14/08/18

वन विभागाधिकारी
पिथौरागढ़


प्रयोक्ता एजेंसी

Asst. General Manager
Power Grid Corporation of India Limited
400 KV GIS, Jauljibi, Pithoragarh